न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 20/2014 (राजसमन्द डिक्री)

1. लीलाधर पिता स्वर्गीय राधेश्याम जी श्रीमाली, निवासी कुवारिया, हाल हाथीपोल बाहर, उदयपुर (राज.)
2. भगवतीलाल पिता स्वर्गीय राधेश्याम जी श्रीमाली, निवासी कुवारिया, हाल हाथीपोल बाहर, उदयपुर (राज.)
3. रमेश पिता स्वर्गीय राधेश्याम जी श्रीमाली, निवासी कुवारिया, हाल हाथीपोल बाहर, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. बसन्तीलाल पिता स्वर्गीय केशवराम जी श्रीमाली, निवासी दाडमी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती खाणी बाई पत्नी स्वर्गीय केशवराम जी श्रीमाली, निवासी दाडमी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (फोत) नाम तर्क किया गया
3. प्रवीण कुमार पिता स्वर्गीय भंवरलाल जी श्रीमाली, निवासी पुनावली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. हेमन्त कुमार पिता स्वर्गीय भंवरलाल जी श्रीमाली, निवासी पुनावली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. मृतक श्रीमती सुन्दर बाई पुत्री स्वर्गीय पोखर जी श्रीमाली धर्मपत्नी स्वर्गीय मगनलाल जी श्रीमाली के बजाय :–

5/1. प्रेमशंकर पिता स्वर्गीय मगनलाल जी श्रीमाली, निवासी दाडमी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द हाल बड़गांव, एस.बी.बी.जे. बैंक की गली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

5/2. श्रीमती अनुलता पत्नी स्वर्गीय प्रकाश जी श्रीमाली, निवासी दाडमी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द हाल पिंक पर्ल सोसायटी रामगिरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

5/3. लाकेश पिता स्वर्गीय प्रकाश जी श्रीमाली, निवासी दाडमी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द हाल पिंक पर्ल सोसायटी रामगिरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

5/4. सुश्री कीर्ति पुत्री स्वर्गीय प्रकाश जी श्रीमाली, निवासी दाडमी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द हाल पिंक पर्ल सोसायटी रामगिरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

5/5. श्रीमती गीता पुत्री स्वर्गीय मगनलाल जी श्रीमाली धर्मपत्नी मनोहरलाल जी श्रीमाली, निवासी कानादेव का गुड़ा, राजसमन्द हाल पालीवाल नोहरे के आगे, पिछोली, रावजी का हाटा, उदयपुर (राज.)

5/6. श्रीमती सुशीला पुत्री स्वर्गीय मगनलाल जी श्रीमाली धर्मपत्नी हिम्मत जी श्रीमाली, निवासी सवानिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल बरकस्त चौक, नागपुर (महाराष्ट्र)

5/7. श्रीमती केसर देवी पुत्री स्वर्गीय मगनलाल जी श्रीमाली धर्मपत्नी कन्हैयालाल जी श्रीमाली, निवासी मीरा नगर, कलेक्ट्री के पीछे, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

5/8. श्रीमती शान्ता देवी पुत्री स्वर्गीय मगनलाल जी श्रीमाली धर्मपत्नी उदयलाल जी श्रीमाली, निवासी सेती मोहल्ला, चित्तौड़गढ़ (राज.)

6. श्रीमती भंवरी देवी बेवा स्वर्गीय कन्हैयालाल जी श्रीमाली, निवासी 430, अम्बेडकर नगर, भोपाल (म.प्र.)

7. गिरिराज पिता स्वर्गीय कन्हैयालाल जी श्रीमाली, निवासी 430, अम्बेडकर नगर, भोपाल (म.प्र.)

8. मोहित पिता स्वर्गीय कन्हैयालाल जी श्रीमाली, निवासी 430, अम्बेडकर नगर, भोपाल (म.प्र.)

9. मृतक सुन्दरलाल पिता स्वर्गीय लक्ष्मीलाल जी श्रीमाली, निवासी पुनावली, तहसील व जिला राजसमन्द के बजाय :–

9/1. मोहनलाल पिता स्वर्गीय सुन्दरलाल जी श्रीमाली, निवासी ई.डब्ल्यू.एफ. 69, कोटरा, सुल्ताना बाद भोपाल, (म.प्र.)

9/2. श्रीमती कविता पुत्री स्वर्गीय सुन्दरलाल जी धर्मपत्नी विजय जी श्रीमाली, निवासी सुथारों की घाटी, भटियानी चोहट्टा, उदयपुर (राज.)

9/3. श्रीमती केसर देवी बेवा स्वर्गीय सुन्दरलाल जी श्रीमाली, निवासी पुनावली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

10. मृतक राधेश्याम पिता स्वर्गीय लक्ष्मीलाल जी श्रीमाली, निवासी पुनावली, तहसील व जिला राजसमन्द के बजाय :–

10/1. दिलीप पिता स्वर्गीय राधेश्याम जी श्रीमाली, निवासी पुनावली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

10/2. पवन पिता स्वर्गीय राधेश्याम जी श्रीमाली, निवासी पुनावली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

10/3. श्रीमती ज्योति पुत्री स्वर्गीय राधेश्याम जी धर्मपत्नी नरेश जी श्रीमाली, निवासी पुनावली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

11. रमेश पिता स्वर्गीय लक्ष्मीलाल जी श्रीमाली, निवासी पुनावली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

13. श्रीमती लक्ष्मी धर्मपत्नी गुलाबचन्द्र जी व्यास, निवासी नीमच माता कॉलोनी, देवाली, उदयपुर (राज.)

14. श्रीमती मीना धर्मपत्नी राजकुमार जी श्रीमाली, निवासी राजकमल अपार्टमेन्ट के सामने, बेदला–बड़गांव लिंक रोड़, उदयपुर (राज.)

15. श्रीमती संगीता धर्मपत्नी यशवन्त जी श्रामाली, निवासी आरा मशीन के पास, बड़गांव, मेनरोड़, उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द
दिनांक 21.07.2014, प्र. सं. 532 / 02

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री अरूण व्यास अभिभाषक रे.सं. 1 से 4, 6 से 8
3. श्री नरेन्द्र चौधरी अभिभाषक रेस्पो. सं. 15
4. श्री हर्षद जोशी अभिभाषक रेस्पो. सं. 13 व 14
5. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 12

———::———

निर्णय **दिनांक 13–12–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा, स्वतंत्र कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुंआरिया में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात कुल किता 8 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है। यह आराजियात संयुक्त हिन्दू परिवारी की होकर मूल पुरूष परशराम जी के दो पुत्र पोखर व तलोक हुए। पोखर फोत होकर उनके तीन पुत्रियां मोहनी, प्रतापी व सुन्दरबाई है तथा मोहनी का वारिस कन्हैयालाल प्रतिवादी संख्या 5 है। इसी प्रकार तलोक जी फोत होकर उनके दो पुत्र केशवलाल व राधेश्याम तथा एक पुत्री बबली हुई। केशवलाल फोत होकर

उसके वारिस वादी संख्या 1 व 2 बसन्तीलाल व खमाणीबाई तथा बबली के वारिस प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रवीण व हेमन्त हैं। पोखर की पुत्री सुन्दरबाई वादी संख्या 5 है। राधेश्याम फोत होकर उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 पत्नी चन्द्रकला तथा पुत्र लीलाधर, भगवतीलाल व रमेश हैं। परशराम जी की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र पोखर व तलोक उक्त भूमि के सहखातेदार बने। तलोक की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि उसके दोनों पुत्र केवशलाल, राधेश्याम व पुत्री बबली तीनों के 1/3, 1/3 हिस्से में आनी चाहिए थी अर्थात परशराम जी की सम्पूर्ण भूमि में तीनों का 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिए, किन्तु केशवलाल की मृत्यु छोटी अवस्था में हो जाने से वादी संख्या 1 गर्भ में थे एवं उनकी मृत्यु के बाद पैदा हुआ, जिसका लाभ उठाते हुए राधेश्याम जो उस वक्त कर्ता खानदान थे, ने तलोक जी की समस्त भूमि अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली। इसी प्रकार पोखर जी की मृत्यु के उपरान्त उसके 1/2 हिस्से पर हक पत्नी श्रीमती सनगारी व तीनों पुत्रियों मोहनी, प्रतापी व सुन्दरबाई का समान रहा, जिससे प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा बनता है, परन्तु राधेश्याम ने मोहनी, प्रतापी व सुन्दरबाई को वंचित कर समस्त भूमि की एक मात्र वारिस सनगारी की भूमि दर्शा कर उनके नाम करा जी तथा बाद में बहला–फुसला कर अपने नाम करवा ली, जबकि उक्त भूमि में सनगारी का 1/8 हिस्सा होकर उसे 1/8 हिस्से के हस्तान्तरण का ही हक था। राधेश्याम की मृत्यु हो चुकी है, जिससे उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 नामान्तरकरण खुलवाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 वादीगण से सहमत होने से उन्हें प्रोफार्मा डिफेन्डेन्ट बनाया गया है तथा भूमिधारी सरकार को आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया गया है। अतएवं विवादित भूमियों का विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कराया जाकर वादी संख्या 1 व 2 को 1/6 हिस्से का, वादी संख्या 3 व 4 को 1/8 हिस्से का वादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 6 को 1/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जाकर अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में दिनांक प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने गलत व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है। वाद ही चलने योग्य नहीं है। बबली स्वयं का ही कोई

हक अधिकार नहीं था तो उसके फोत होने के बाद उसके पुत्र वादी संख्या 3 व 4 का कोई अधिकार नहीं बनता है। विवादित आराजियात राधेश्याम जी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग की होकर उनकी खातेदारी में चली आ रही हैं। विवादित आराजियात कभी भी केशवलाल के खातेदारी में नहीं रही है, जिसके उनके वारिस वादी संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है। स्वर्गीय राधेश्याम जी ने श्रीमती सनगारी बाई एवं उनके क्रेतओं से नियमानुसार जमीन क्रय की है। सनगारी पत्नी पोखर के को पुत्र वारिस नहीं होने से परिवार की वैध आवश्कताओं की पूर्ति के लिए उसके द्वारा भूमियों का विक्रय किया गया है तथा इसके एवज में उन्होंने 6000/– रूपये स्वर्गीय राधेश्याम से प्राप्त किये हैं। वाद इतनी लम्बी अवधि बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जलील व परेशान कर नाजायज लाभ प्राप्त करने की उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अतएवं वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19–04–2006 को निम्नानुसार 7 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादीगण संयुक्त परिवार के सदस्य होकर घोषणा, बंटवाड़ा, स्वतंत्र कब्जा एवं निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण
2. आया वादग्रस्त आराजियात जो वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित जायदाद मौरूसी एवं पैत्रृक है जिसमें वादीगण का वाद पत्र की कलम संख्या 4, 5, 6 के अुनसार हिस्सा है, जिसे वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण
3. आया वादीगण द्वारा गलत व्यक्तियों को पक्षकार बनाने से वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है ? ..... प्रतिवादीगण
4. आया वादीगण का वाद मयाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है ? ..... प्रतिवादीगण
5. आया वादीगण का वाद कमी मूल्यांकन पर होने से कमी न्याय शुल्क पर होने से चलने योग्य नहीं है ? ..... प्रतिवादीगण
6. आया प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक का कब्जा मुखालफाना वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध परिपक्व हो चुका है, इसका वाद पर क्या असर है ? ..... प्रतिवादीगण

7. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 21–07–2014 से वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी नंबर 373, 374, 390, 393, 394, 397, 841, 846 में तलोक जी की आराजी में उसके वारिसान केशवलाल, राधेश्याम व बबलीबाई को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया तथा प्रतिवादीगण द्वारा जो भूमि क्रय की गयी है, उसमें वादीगण का कोई अधिकार नहीं माना है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्तानुसार घोषणा व विभाजन का वाद स्वीकार का प्रारम्भिक डिक्री जारी की है।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 21–07–2014 जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04–08–2014 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 4 व 6 से 8 की ओर से वकील श्री अरूण व्यास उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 राज्य सरकार औपचारिक पक्षकार की ओर राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5, 9 व 10 की दौराने कार्यवाही मृत्यु हो जाने से उनके कायम मुकाम संस्थित किये गये। प्रकरण में दौराने कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13, 14 व 15 को पक्षकार संस्थित किया गया, जिसपर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 व 14 की ओर से वकील श्री हर्षद जोशी एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र चौधरी उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13, 14 व 15 की ओर से काउण्टर अपील भी पेश की गयी। शेष रेस्पोन्डेन्ट वाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 व 6 से 8 ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13, 14 व 15 द्वारा काउण्टर अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट क प्रमुख अपील उजर यह हैं कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं विधि विरूद्ध है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में असत्य कथनों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया, जिससमें विवादित भूमियों को संयुक्त हिन्दू परिवार की होना बताया है। दावे के सजरे के अनुसार मूल पुरूष परसराम जी के दो पुत्र पोखर व तलोक हुए। पोखर की पत्नी श्रृंगारी बाई व तीन पुत्रियां मोहनी, प्रतापी व सुन्दर बाई हुई। इसी प्रकार तलोक के वारिस पुत्र केशवलाल, राधेश्याम व पुत्री बबली है। केशवलाल के वारिस बसन्तीलाल व खुमाणी, राधेश्याम के वारिस चन्द्रकला, लीलाधर, भगवतीलाल, रमेश व बबली के वारिस प्रवीण व हेमन्त होना बताया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में असत्य कथन करते हुए अपने पिता केशवलाल का हिस्सा तलोक की सम्पत्ति में होना बताया, जबकि केशवलाल का अपने जीवनकाल में व उसकी मृत्यु के पश्चात् बसन्तीलाल व खमाणी बाई का कभी उक्त भूमि पर आधिपत्य नहीं रहा, क्योंकि केशवलाल की पत्नी खमाणी बाई अपने मायके चली गयी और वही रहीं तथा बबली अपनी ससुराल में रहने से बबली व उसके पुत्रों का भी कभी उक्त भूमियों पर कब्जा नहीं रहा। तलोक जी सम्पत्ति में एक मात्र आधिपत्य राधेश्याम जी का रहा व उनकी मृत्यु पश्चात् अपीलान्टगण का चला आ रहा है। श्रृंगारी बाई द्वारा अपना हिस्सा राधेश्याम व अन्य को विक्रय कर दिया गया तथा अन्य क्रेताओं द्वारा पुनः राधेश्याम के हक में उक्त भूमियों का विक्रय कर दिया गया। रेस्पोन्डेन्ट बसन्तीलाल व खमाणी द्वारा भी दिनांक 04–10–1980 को राधेश्याम के पक्ष में एक इकरार पत्र निष्पादित कर प्रतिफल स्वरूप 6000/– रूपये प्राप्त किये। इस प्रकार समस्त भूमियों एक मात्र मालिक काबिज राधेश्याम जी रहे एवं अन्य किसी भी व्यक्ति का उक्त भूमियों से कोई लेना–देना नहीं रहा। राधेश्याम जी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान अपीलान्टगण उक्त भूमि के मालिक काबिज हुऐ। स्वयं वादी बसन्तीलाल एवं प्रवीण कुमार ने अपने बयानों में उक्त भूमियों में अपना कब्जा नहीं होने का कथन किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किये बिना रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद आंशिक डिक्री करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श 4 को अनरजिस्टर्ड दस्तावेज होने की वजह से उसे वैध नहीं मानने में भारी भूल की है। उक्त दस्तावेज कानूनन रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है, यदि हो तो भी कोलेटरल परपज के लिए पढ़ा जा सकता है। उक्त दस्तावेज के रजिस्टर्ड

नहीं होने मात्र से रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के हक व अधिकार पुनः सृजित नहीं हो जाते हैं।

वहीं काउण्टर अपीलकर्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13, 14 व 15 द्वारा प्रमुख रूप से उनका राधेश्याम की पुत्री व आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें बिना सुनवाई पारित निर्णय को त्रुटि पूर्ण होना बताया।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कायम शुदा तनकियात पर तनकीवार विवेचन करते हुए साक्ष्यों का उल्लेख कर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 के संबंध में जो निर्णय पारित किया है, उसमें दस्तावेज प्रदर्श 1 से 5 व 9 के आधार पर उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की मानी है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

जहां तक तनकी नंबर 2 का प्रश्न है, उक्त तनकी के सम्बन्ध में जब भूमियां मौरूष तलोक जी के समय की होना प्रमाणित है तो उस स्थिति में विरासती उत्तराधिकार के आधार पर पुत्र केशवलाल के वारिसान का तथा पुत्री बबली के वारिसान का भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार हक माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में श्रृंगारी बाई द्वारा किये गये विक्रय के सन्दर्भ में अपना क्षेत्राधिकार नहीं माना है जो उचित है। परन्तु प्रकरण में तलोक जी की विरासत से सिर्फ राधेश्याम को उत्तराधिकारी मानने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि तलोक जी के अन्य 2 वारिसान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार उक्त भूमियों में राधेश्याम के समान ही हक व अधिकार रखते हैं तथा तलोक जी के तीनों वारिसान का उनकी भूमि में 1/3, 1/3 हिस्सा बनता है तथा उन्हें विरासती उत्तराधिकार से वंचित किये जाने का कोई आधार नहीं है। जहां तक कब्जे का प्रश्न है, विरासती उत्तराधिकार में कब्जा गौढ़ होता है। अतएवं कब्जे के आधार पर किसी को विरासती उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 2 पर किये गये विवेचन में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

प्रकरण में तनकी नंबर 3, 4 व 5 का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा औचित्य पूर्ण रूप से किया गया है। प्रकरण में जहां तक तनकी नंबर 6 का प्रश्न है, इस बाबत् भी सुस्पष्ट स्थिति है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर

राजस्व न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकने का निर्णय माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 30–08–2018 को पूर्ण पीठ में किया जा चुका है, तद्नुसार राजस्व न्यायालय द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। प्रकरण में किसी अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर किसी के खातेदारी अधिकार तय नहीं किये जा सकते। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा औचित्य पूर्ण रूप से तलोक जी की भूमियों में उसके सभी वारिसान का समान हक मानते हो जो निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

प्रकरण में जहां तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13, 14 व 15 के काउण्टर अपील का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट है कि उक्त तीनों रेस्पोन्डेन्ट राधेश्याम की पुत्रियां है, जिनका संबंध सिर्फ राधेश्याम व उनके पुत्रों से है, केशवलाल अथवा बबली की सम्पत्तियों से उनका कोई लेना–देना नहीं है। तद्नुसार इस अपील में अपीलाधीन आदेश के सन्दर्भ में वादी/रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13, 14 व 15 को कोई सुनवाई का अवसर दिया जाना अथवा नहीं दिये जाने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वादीगण के विरूद्ध उन्हें कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें जो भी हक अधिकार प्राप्त होने हैं वह राधेश्याम की भूमियों में ही प्राप्त होंगे। तद्नुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13, 14 व 15 के पेश शुदा काउण्टर अपील का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्ट तथा काउण्टर अपील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13, 14 व 15 सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–07–2014 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13–12–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

लीलाधर पिता स्व.राधेश्याम श्रीमाली निवासी कुवारिया हाल हाथीपोल उदयपुर व अन्य बनाम **बसन्तीलाल पिता स्व.केशवराम श्रीमाली निवासी दाडमी, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**20 / 2014**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**राजसमन्द**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**21**.....माह.....**07**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**13**.....माह.....**12**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री लोकेश गहलोत**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री अरूण व्यास** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अतएवं अपील अपीलान्ट तथा काउण्टर अपील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13, 14 व 15 सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–07–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**13**.....माह.....**12**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।